

सं. अ. 5-1/2022- समन्वय
भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जुलाई, 2023 माह का कैबिनेट के लिए मासिक सार - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को जुलाई 2023 के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित मासिक सार की एक प्रति कैबिनेट के लिए परिचालित करने का निर्देश हुआ

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

राजेश सैम्पले

(राजेश सैम्पले)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं: 011-23384589

सेवा में

1. सभी मंत्रिपरिषद
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग के सचिव।
3. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।

जानकारी के लिए कॉपी:

- माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव
- राज्य मंत्री के निजी सचिव, शिक्षा मंत्रालय
- सचिव (एसईएंडएल) के पीपीएस

राजेश सैम्पले

(राजेश सैम्पले)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं: 011-23384589

शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

मंत्रिमंडलीय मासिक सारांश, जुलाई, 2023

जुलाई, 2023 माह के प्रमुख विकास एवं गतिविधियाँ

I. वित्तीय उपलब्धियाँ/विज्ञप्तियाँ:

31 जुलाई, 2023 तक बजट अनुमान का 13.15% जारी किया गया है।

II. महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और गतिविधियाँ/पहलें:

क्र.सं.	विषय	संक्षिप्त
1	दूसरा अखिल भारतीय शिक्षा समागम	<ul style="list-style-type: none">शिक्षा मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से दिनांक 29 और 30 जुलाई, 2023 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया। माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 29 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया।इस समागम का उद्देश्य एनईपी 2020 को लागू करने संबंधी विचार-मंथन करना और विभिन्न दृष्टिकोणों और पद्धतियों की पहचान करना था।इस समागम के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री ने पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। 6207 स्कूलों को पहली किस्त प्राप्त की जिसकी कुल धन राशि 630 करोड़ रुपये है। उन्होंने 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी विमोचन किया।दो दिवसीय कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा के विभिन्न विषयों पर 16 विषयगत सत्रों में शिक्षाविदों की भागीदारी देखी गई। उनका नेतृत्व शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, विनियामकों, उद्योग विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों, भारत सरकार/राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के अधिकारियों आदि में से प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित पैनलिस्टों ने किया।